

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 496]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2020 — आश्विन 22, शक 1942

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक 30 / 02 / ब / अनु.प्रति / 2009-20 / 2849. — छत्तीसगढ़ राज्य अनुग्रह प्रतिकर भुगतान नियम, 2009 के नियम 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, निर्वाचन कर्तव्य के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों की मृत्यु अथवा घायल होने पर, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त नियम में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 4 के खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(क-1) अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्वाचन कर्तव्य के दौरान कोविड-19 से मृत्यु होने की दशा में, अनुग्रह प्रतिकर राशि रु. 30,00,000/- (तीस लाख) का भुगतान मृतक के नामिनी/परिवार के सदस्य को किया जायेगा।

(क-2) यह संशोधन दिनांक 22 जुलाई, 2020 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार,
रीना बाबासाहेब कंगाले, पदेन सचिव,
विधि एवं विधायी (निर्वा.) कार्य विभाग.

Raipur, the 14th October 2020

NOTIFICATION

No. 30/02/ब/अनु.प्रति/2009-20/2849. — In exercise of the powers conferred by rule 9 of the Chhattisgarh State Ex-Gratia Compensation Payment for Officials/Employees died or injured during Electioneering Duty, Rules, 2009, the State Government, hereby, makes the following further amendment in the said rules, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

After clause (a) of rule 4, the following shall be inserted, namely :-

- "(a-1) In case of death of the officers/employees to Covid-19, the Ex-Gratia Compensation amount shall be of Rs. 30,00,000/- (Thirty Lac), which shall be paid to the nominees/family member of the deceased.
- (a-2) These amendment shall come into force with retrospective effect from the date of 22nd July, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REENA BABASAHEB KANGALE, Ex-Officio Secretary,
D/O Law and Legislative Affairs (only for Election).